संख्याः 159 /एक-10-2019-33(221)/2011

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊःदिनांकः 29 मई, 2019

विषयः-वित्तीय वर्ष 2019-20 में संभावित बाढ़ के दृष्टिगत पूर्व तैयारी हेतु जनपद के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा स्वंय सेवकों (आपदा मित्र) की क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-65/आपदा-2019, दिनांक 22.05.2019, जिसके माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग मद में धनराशि रू0 20,28,000/- की मांग की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 22.05.2019 पर सम्यक विचारोंपरान्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में संभावित बाढ़ के दृष्टिगत पूर्व तैयारी हेतु जनपद के बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों के लिये आवश्यक उपकरण क्रय किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **धनराशि रू0 9,89,000/- (रूपये नौ लाख नवासी हजार मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रम	प्रस्तावित गतिविधि/ कार्यक्रम	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1	बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों हेतु 01 ड्रेगन लाईट, 01 लाइफ जैकेट, 01 मेगाफोन तथा एप्रैन-03 अदद (86 बाढ़ चौकी X 11,500)	9.89
	योग	9.89
		(रूपये नौ लाख नवासी हजार मात्र)

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

4- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

Scanned by CamScanner

5- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांकः 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांकः 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

6- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

8- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

9- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

10- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

11- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

12- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner

युक्त

संख्याः 159 (1)/एक-10-2019-33(221)/2011, **दिनांकः मई, 2019**

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- मण्डलायुक्त गोरखपुर, मण्डल गोरखपुर, उ0प्र0।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।

3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

6- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर, उ0प्र0।

7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner